

शुल्क विवरण :

1. महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है।
2. प्रवेश के समय ही सम्पूर्ण वर्ष का शुल्क देय होगा।
3. छात्र/छात्राएं अपनी शुल्क रसीद सुरक्षित रखें। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी माँगी जा सकती है।
4. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शुल्क का निर्धारण प्रशासकीय समिति द्वारा प्रशासनिक विधि एवं नियम के अन्तर्गत किया जाएगा।
5. एक बार जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
6. सभी शुल्क हेतु रसीद लेना आवश्यक होगा।